ग्राम पंचायत लाहट, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लाहट, विकास खण्ड सुलह (भेडू महोदव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	व्यापक चन्द	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती शकुन्तला देवी	23.1.16 से अद्यतन

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री पंकज शर्मा	1.4.2014 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमिततओं का सारः—

ग्राम पंचायत लाहट के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखो में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर पाया गया	1.11
2	9	अनुदान राशि का उपयोग न करना	3.75
3	10	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय करना	0.38

4	11	निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	2.88
5	12	माप पुस्तिकाओं में 15% संविदाकार लाभ व अन्य व्यय की राशि कम न करने के कारण अधिक भुगतान	0.09
6	13	व्यय की माप पुस्तिकायें अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करना	0.55

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत लाहट, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 15.7.2017 से 19.7.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	3/2015	9/2014
2015–16	2/2016	8/2015
2016–17	3/2017	3/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत लाहट, विकास खण्ड सुलह, (भेडू महोदव) जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा

परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2017-002 दिनांक 19.7.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लाहट से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत लाहट द्वारा ड्राफ्ट संख्या 008808 दिनांक 20.7.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत लाहट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोत एवं अनुदानः–

ग्राम पंचायत लाहट के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों (विविध) की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

		प्राप्ति		**योग**	**व्यय**		**अन्तिम शेष**
वर्ष	**अथशेष**	**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**		**स्वःस्त्रोत**	**अनुदान**	
2014–15	702601	44355	870072	1617028	19630	923136	674262
2015–16	674262	37049	701531	1412842	12657	499947	900238
2016–17	900238	67841	687811	1655890	16465	881832	757593

31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही	₹757593
बैंक में जमा	₹868335
अन्तर	**₹110742**

क्र0सं0	**बैंक**	**खाता सं0**	**दिनांक 1.4.14 को अथशेष**	**दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष**
1	के सी सी वाहे दा पटट	50057431406	190570	26802
2	के सी सी वाहे दा पटट	50055927325	26562	22731
3	के सी सी वाहे दा पटट	50060191478	50000	5711
4	के सी सी वाहे दा पटट	50055927766	210969	629448

5	के सी सी वाहे दा पटट	20084002692	156705	164920
6	के सी सी वाहे दा पटट	50061039412	40000	850
7	के सी सी वाहे दा पटट	50056950284	9136	265
8	के सी सी वाहे दा पटट	5005922722	7675	5617
9	के सी सी वाहे दा पटट	50055927799	10984	11991
	कुल योग		**702601**	**868385**

(ख) ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 व 2** में दिया गया है।

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹1.11 लाख का अन्तर :–

ग्राम पंचायत की लाहट की स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹110742 का अन्तर पाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों से बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की गई है न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज किया गया है। जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम करके प्राप्त अन्तिम व्यय की प्रविष्टियों को अन्तिम कार्य दिवस

पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण अवधि दर्शाने/बनाने हेतु 1.4.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ वही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 का अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा के पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने/निर्धारित प्रपत्र पर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹2360 की वसूली शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष (₹)
2014–15	1020	6220	7440	4860	2380
2015–16	2380	6220	8600	6280	2320
2016–17	2320	6320	8640	6280	2360

9 अनुदान ₹3.75 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹374918 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पचांयत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संस्था को किया जाये।

10 प्राप्त अनुदान से ₹0.38 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत लाहट द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख **(परिशिष्ट–3)** अनुसार पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक प्राप्त अनुदान राशियों से ₹37771 का अधिक व्यय किया गया है। पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि में से व्यय प्राप्त अनुदान तक सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किये गये व्यय बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग/संस्था से उठाते हुये अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹2.88 लाख अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन

प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "4"** में दिये गये विवरणानुसार चयनित मासों में ₹287647 व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा किए गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 माप पुस्तिकाओं में संविदाकार लाभ व ऊपर खर्च (Contrator Profit & overhead charges) की 15% राशि कम न करने के कारण ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

ग्राम पंचायत लाहट द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों को विभागीय स्तर पर करवाया गया है। उक्त कार्यों के मस्ट्रोलों व सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में दर्ज कार्य प्रगति की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में दर्ज कुल कार्य प्रगति में से संविदाकार लाभ एवं उपरी खर्च (Contractor profit and overhead charges) के रूप में **15%** राशि को कम नहीं किया गया है जबकि विभागीय स्तर पर कार्य करवाये जाने के कारण यह राशि कम की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार पंचायत द्वारा मजदूरी के रूप में ₹9156.75 का भुगतान मजदूरों को अधिक किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	कार्य का नाम	मस्ट्रोल अनुसार राशि	मस्ट्रोल में दर्ज कार्य प्रगति की राशि	15% कम करने उपरान्त कार्य प्रगति की राशि	अधिक किया गया भुगतान	मा पुस्तिका /पृ0
मनरेगा										
1	5	5.8.15	1468, 1469	16.7.15 से 31.7.15	क्रेट वर्क गुन्गा से महन्द खडड	23976	25895.58	22011.25	1964.75	6728/22
2	6	5.8.15	1472	16.7.15से 31.7.15	वृक्षारोपण मोहन लाल की जमीन पर	11502	11508	9782.21	1720	6728/20

3	7	5.8.15	1490	17.5.15 से 31.7.15	वृक्षारोंपण कुलदीप, हरवंस व हँस राज की जमीन पर	15228	16257	13818.19	1410	6728 / 19—20
4	8	27.8.15	1803, 1804	4.8.15 से 15.8.15	क्रेट वर्क गुन्गा से महन्द खडड	19278	22043.29	18736.80	541	6728 / 23—24
5	9	27.8.15	1805, 1806	4.8.15 से 15.8.15	क्रेट वर्क ओम प्रकाश की जमीन पर	13284	15815.84	13443.47	—	6728 / 24—25
6	10	27.8.15	1807	4.8.15 से 15.8.15	वृक्षारोंपण मींसा देवी व रोशनी देवी की जमीन पर	12960	15230.75	12945.17	15	6728 / 28
7	11	27.8.15	1808	4.8.15 से 15.8.15	वृक्षारोंपण कुलदीप, हरवंस व हँस राज की जमीन पर	13932	14008.95	11907.60	2024	6728 / 27
8	12	27.8.15	1809	4.8.15 से 15.8.15	वृक्षारोपण मनोहर लाल की जमीन पर	12474	12966	11022.33	1482	6728 / 26
								योग	**9156.75**	

अतः पंचायत द्वारा संविदाकार लाभ व अन्य खर्च की राशि 15**%** को कार्य प्रगति से कम न करके पूर्ण राशि को कार्य प्रगति के रूप में दर्शाने के कारणो बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक भुगतान की गई ₹9156.75 की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 मजदूरों को मजदूरी के रूप में किये गये ₹0.55 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

ग्राम पंचायत लाहट द्वारा ₹55420 का भुगतान मजदूरों को मजदूरी के रूप में स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही से निम्नविवरणानुसार किया गया हैः—

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	42	7.8.15	(01 / 2015) 020193	1.5.15 से 31.5.15	निर्माण जीप योग्य रास्ता गुग्गा मन्दिर से मेन रोड	9350
2	77	6.3.17	020208	7.2.17 से 18.2.17	निर्माण बावड़ी उमरी वाली	6420

3	107	22.3.17	020202	1.11.16 से 30.11.16	निर्माण डन्गा नजदीक चामुण्डा पब्लिक स्कूल लाहट	39650
					योग	**55420**

ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपरोक्त वण्रित विवरण/मस्ट्रोलों अनुसार मजदूरों को मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति की जाँच हेतु सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि मजदरों को किये गये कार्य हेतु वास्तव में इतनी मजदूरी देय थी अथवा नही?

अतः उपरोक्त वर्णित मस्ट्रोलों से करवाये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु सुनिश्चित किया जाए।

14 मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान की गई ₹0.02 लाख की वसूली के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत लाहट की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में निम्नविवरणानुसार ₹34018 का भुगतान मजदूरों को मजदूरी के रूप में किया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति की सम्बन्धित माप पुस्तिका से जाँच में पाया गया कि इनके विरूद्ध कार्य प्रगति ₹31636 ही बनती है एवं इस प्रकार पंचायत द्वारा मजदूरों को मजदूरी के रूप में ₹2382 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से अगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	कार्य का नाम	माप पुस्तिका/ पृ0	मस्ट्रोल अनुसार भुगतान	माप पुस्तिका अनुसार कार्य प्रगति	अधिक भुगतान
1	85	6.3.17	020205	1.2.17 से 13.2.17	निर्माण पक्का रास्ता तुलसी राम के घर से लिंक रोड गुंगड	6728/59	12736	11720	1016
2	99	10.3.17	020203	1.12.16 से 21.12.16	विवरण नहीं	6728/64 –66	21282	19916	1366
								योग	**2382**

15 ₹0.03 लाख के भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही से ₹2550 का भुगतान वाउचर संख्या 111 दिनांक 27.3.2017 द्वारा श्री नवनीत कुमार को 85 बैग सीमेंन्ट की ढुलाई हेतु ₹30 प्रति बैग की दर से दर्शाया गया है। पंचायत द्वारा उक्त भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचर/कोई भी अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान/व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत/उत्तरदायी से करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11 व 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

17 **प्रत्यक्ष सत्यापनः–**

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त रोकड़ बहियों के लेखन व उनके बैंक खातो से मिलान हेतु विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 131/2017–खण्ड–1–599–602 दिनाँक 19.01.2018
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत लाहट, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881